

अमय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक-11.07.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/मेन्टर पदाधिकारी/पणन पदाधिकारियों/सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के साथ किए गए विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/मेन्टर पदाधिकारियों/पणन पदाधिकारियों/सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के साथ किए गए कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए :-

1. लोक सेवा का अधिकार

अनुपालन - श्री अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्ता एवं श्री सतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, मोतिहारी

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	प्राप्त आवेदन का ससमय निष्पादन	सभी प्रखण्डों में यह पंजी संघारित हो गई है, परन्तु कोटवा एवं कतिपय अन्य प्रखण्डों में यह सही ढंग से संघारित नहीं है, इसे विधिवत ढंग से संघारित कराने तथा कार्यालय आते ही सर्वप्रथम आर0टी0पी0एस0 काउन्टर की नियमित जाँच करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को दिया गया।
2	Online आवेदन पत्रों का ससमय निस्कार	निर्धारित समय सीमा के बाद सबसे ज्यादा पीपराकोठी में 39, केसरिया में 28 एवं आदापुर में 12 मामले लंबित है। अगली बैठक के पूर्व लंबित सभी आवेदनों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
3	सभी प्रखण्ड का BSWAN के माध्यम से Online Connectivity	इस संबंध में निम्न निदेश दिए गए :- 1. यह सुनिश्चित की जाय कि I.P.Phone सभी प्रखंडों में चालू रहे। 2. यह सुनिश्चित की जाय कि BSNL की Internet Connectivity चालू रहे। 3. विडियो कान्फेन्सिंग कर Online Connectivity Check किया जाय।
4	जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा विभिन्न RTPS Counter का निरीक्षण एवं छापामारी करना	प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 इसे सुनिश्चित करेंगे।
5	कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन।	घोड़ासहन अंचल में दाखिल-खारिज से संबंधित निर्धारित समय-सीमा के बाद 07 आवेदन-पत्र लंबित रखने, उसके निष्पादन में अभिरुचि नहीं लेने एवं दिनांक- 07.07.2014 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अंचलाधिकारी, घोड़ासहन का दिनांक-07.07.2014 (सोमवार) से दिनांक-11.07.2014 (शुक्रवार) तक के वेतन की कटौती की जाय।

		बनकटवा अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज /नामांतरण वाद का अलग-अलग अभिलेख/आदेश तैयार नहीं करने के लिए अंचलाधिकारी, बनकटवा से स्पष्टीकरण की मांग की जाय।
6	R.T.P.S. Monthly District Ranking report की समीक्षा।	इस जिले का Ranking 13 वें स्थान पर है। Ranking में अपेक्षित सुधार लाने का पुनः निदेश दिया गया।
7	अपीलीय प्राधिकार द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन।	अपीलीय प्राधिकार द्वारा यह सुनिश्चित की जाय कि जिसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है, उन पर दण्ड निर्धारित की जाय।
8	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	इस योजनांतर्गत सामान्य घटक में 2,58,08,750 एवं विशेष घटक में 39,43,300 रुपये विभिन्न प्रखंडों में अवशेष पड़े हुए हैं। अवशेष राशि का नियमानुसार व्यय कर डी०सी० डिपत्र तथा 42ए में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का निदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० इसे सुनिश्चित कराएँगे।
9	समाहरणालय में आर.टी.पी.एस. काउंटर की व्यवस्था।	-
10	आई०टी० मैनेजर को मानदेय भुगतान की स्थिति।	माह-जून तक वेतन का भुगतान अद्यतन।
11	आई०टी० सहायक को मानदेय भुगतान की स्थिति।	माह-जून तक वेतन का भुगतान अद्यतन।
12	कार्यपालक सहायक को मानदेय भुगतान की स्थिति।	माह-जून तक वेतन का भुगतान अद्यतन।
13	प्रखंड/अंचल कार्यालय में जन शिकायत पंजी का संधारण।	सभी प्रखंडों में संधारित, परन्तु कतिपय प्रखंडों में त्रुटिपूर्ण ढंग से संधारित किया गया है, जिसे निदेशित बिन्दुओं के आलोक में संधारित करने का निदेश दिया गया।
14	दाखिल खारिज	दाखिल-खारिज के विन्दु पर सभी अंचलाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :- 1. आम नोटिस तामिल कराकर अभिलेख में लगाया जाय। 2. दाखिल-खारिज करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ली जाय कि भू-धारी की दास्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो एवं जमीन पर उनका दखल-कब्जा हो। उपर्युक्त निदेश का उदासीन करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
15	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पंचायत सेवक प्रति सप्ताह कम-से-कम एक आवेदन-पत्र का निष्पादन अवश्य करें।
16	निर्धारित समय सीमा के पश्चात् लंबित आवेदनों का निष्पादन	प्रभारी पदाधिकारी, आर०टी०पी०एस० का अनुश्रवण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या शून्य हो जाय।

17	तत्काल सेवा	दिनांक-10.07.2014 तक प्राप्त कुल-3,388 आवेदन-पत्रों के विरुद्ध 3,318 आवेदन-पत्रों का निष्पादन किया गया है। इस संतोषजनक स्थिति के लिए प्रसन्नता प्रकट करते हुए निदेशित किया गया कि भविष्य में यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित समय-सीमा के बाद एक भी आवेदन-पत्र लंबित नहीं रहे।
18	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	अनुपालित।

- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित तिथिवार प्राप्त, निष्पादन एवं लंबित आवेदन-पत्रों का आँकड़ा संचारित करते हुए प्रतिदिन संध्या में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. जिला जन शिकायत कोषांग

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत	वर्ष 2012 से दिनांक-10.07.2014 तक जिला स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों के पास लंबित कुल-220, अनुमंडल स्तर पर 124, भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर पर 83, प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर 130 एवं अंचलाधिकारी स्तर पर 182 आवेदन-पत्र लंबित हैं। उपर्युक्त आवेदन-पत्रों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग इसे सुनिश्चित कराएँगे।
2	मुख्यमंत्री सेवा यात्रा (वर्ष-2012) से प्राप्त जन शिकायत	मुख्यमंत्री सेवा यात्रा के दौरान कुल प्राप्त 1890 आवेदन-पत्रों के विरुद्ध 1373 आवेदन-पत्र निष्पादित एवं कुल 517 लंबित। उपर्युक्त आवेदन-पत्रों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग इसे सुनिश्चित कराएँगे।
3	आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जन शिकायत	दिनांक-01.01.2014 से 10.07.2014 तक आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल से प्राप्त कुल-32 आवेदन-पत्र विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, जिसमें से कुल-27 आवेदन-पत्र एक माह से अधिक समय से तथा 05 आवेदन-पत्र 01 माह से कम समय से लंबित हैं। उपर्युक्त आवेदन-पत्रों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग इसे सुनिश्चित कराएँगे।
4	जिला जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत	दिनांक-01.01.2013 से 10.07.2014 तक विभिन्न स्तरों पर कुल-822 आवेदन-पत्र लंबित हैं, जिसमें से 802 आवेदन-पत्र एक माह से अधिक समय से तथा 20 आवेदन-पत्र एक माह से कम समय से लंबित हैं।

इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर 383, भूमि सुधार उप समाहर्ता स्तर पर 493, प्रखंड विकास पदाधिकारियों के स्तर पर 221, अंचलाधिकारियों के स्तर पर 768 आवेदन-पत्र लंबित पड़े हुए हैं। यद्यपि जिला जन शिकायत कोषांग द्वारा इसके निष्पादन हेतु समय-समय पर पत्राचार किया गया है। फिर भी स्थिति असंतोषजनक है।

बताया गया कि जिला जनता दरबार में सबसे ज्यादा राजस्व से संबंधित आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं। इस संबंध में निम्न निदेश दिए गए :-

1. अपने-अपने कार्यालय में संधारित जन शिकायत पंजी अद्यतन करते हुए लंबित आवेदन-पत्रों का निष्पादन ससमय करने का निदेश उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया।
2. कोई मामला रैयती जमीन से संबंधित है और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किया जा रहा है तो संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता सुनवाई कर आदेश पारित करेंगे।
3. विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी धारा-107, 118 की कार्यवाही प्रारंभ कर निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे और आवश्यकतानुसार धारा-144/145 की कार्रवाई करेंगे, परन्तु धारा-107 में बौण्ड की राशि 25,000/- एवं साम्प्रदायिक मामलों में 2,00,000/- से कम नहीं हो।
4. अगर गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास एवं बेतिया राज की जमीन पर जमाबंदी कायम कर दिया गया है तो जमाबंदी के रद्दीकरण हेतु 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक भूमि सुधार उप समाहर्ता अपने प्रस्ताव के साथ प्रति सप्ताह कम-से-कम एक-एक अभिलेख अपर समाहर्ता, पूर्वी घम्पारण, मोतिहारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
5. यह सुनिश्चित की जाय कि अगर गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास एवं बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण या किसी का अवैध दरखल-कब्जा नहीं हो।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण से संबंधित सभी दादों की समीक्षा सभी अंचलाधिकारी अंचल स्तरीय साप्ताहिक बैठक में करेंगे एवं अतिक्रमण से संबंधित पंजी अलग से संधारित करेंगे।
7. पर्चा की जमीन की बेदखली से संबंधित मामलों की अलग पंजी खोलकर संधारित करें।
8. सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच बन्दोवस्ती हेतु अगस्त, 2014 के प्रथम सप्ताह में कुल-1,000 बन्दोवस्ती का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल से संबंधित कम-से-कम 200 पर्चा निर्गत करेंगे।
9. सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं नीलाम पत्र पदाधिकारी को प्रतिदिन 10:30 बजे 11:00 बजे पूर्वाह्न कम-से-कम आधा घन्टा न्यायालय (Court) कार्य कर मामले की सुनवाई करें।

3.

जिला राजस्व

अनुपालन - श्री अमरेन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	भू-अभिलेख कम्प्यूटराइजेशन से संबंधित प्रतिवेदन।	अपर समाहर्ता द्वारा इसकी समीक्षा की गई है तथा कम्प्यूटराइजेशन का कार्य अनुमंडल स्तर पर करने हेतु आवश्यक निदेश दिए गए हैं।
2	घालू खतियान का निर्माण	12 राजस्व ग्रामों में खतियान निर्माण का कार्य पूर्ण तथा 159 में कार्य प्रारंभ है। सुगीली, फेनहारा एवं तेतरिया द्वारा एक-एक ग्राम का घालू खतियान तैयार कर लिया गया है। समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिए गए :- 1. बंजरिया, संग्रामपुर अंचल का कार्य लंबित रखने के लिए अपर समाहर्ता संबंधित अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करें। 2. अंचल अधिकारी, मेहसी द्वारा प्रपत्र की अनुपलब्धता का बहाना बनाकर घालू खतियान निर्माण का कार्य लंबित रखा गया है। अपर समाहर्ता इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
3	छूटे हुए महादलित परिवारों का पुनर्संयोजन। (सकिलवार/कर्मचारीवार)	महादलित परिवारों का सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिए गए :- 1. अंचलाधिकारी, रक्सौल को भविष्य के लिए सतर्क करते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। 2. सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता अपने क्षेत्रान्तर्गत अंचलवार एवं हल्कावार सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा कर प्रतिवेदित करेंगे।
4	लगान वसूली की स्थिति। (सकिलवार/कर्मचारीवार)	09 राजस्व अंचलों में से सबसे कम वसूली मधुबन अंचल का 13,295.00 रुपये एवं सबसे अधिक वसूली रक्सौल अंचल का 1,53,434.00 रुपये है। लगान वसूली की स्थिति काफी असंतोषप्रद है। अंचलाधिकारी प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे।
5	दाखिल-खारिज की स्थिति। (सकिलवार/कर्मचारीवार)	मोतिहारी अंचल में प्राप्त 457 मामलों का विरुद्ध मात्र 12 का ही निष्पादन किया गया है और अंचलाधिकारी, ढाका द्वारा 228 मामलों के विरुद्ध 111 का निष्पादन किया गया है। अंचलाधिकारी, मोतिहारी विलंब का कारण स्पष्ट करेंगे।
6	सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी मामलों की स्थिति। (सकिलवार/कर्मचारीवार)	कोटवा के अतिक्रमण से संबंधित 12 मामलों में से 07 मामलों में अतिक्रमण हटाया गया है, जबकि मोतिहारी में पूर्व के सबसे ज्यादा कुल-131 मामले अभी भी लंबित हैं। अंचलाधिकारी, मोतिहारी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे। इससे संबंधित पंजी संघारित करें एवं प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन करें।

7	बेदखली के मामले (सर्किलवार/कर्मचारीवार)	<p>1. इससे संबंधित पेजी संचारित करें एवं प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन करें।</p> <p>2. बेदखली से संबंधित मामलों की सूची तैयार कर सभी संबंधित को संसूचित करें।</p> <p>3. अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन तैयार करा लें कि किस-किस के पास कितने मामले लंबित हैं।</p>
8	बी.एल.डी.आर. अंतर्गत पारित आदेश को वेबसाइट पर अपलोड की स्थिति।	<p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर द्वारा 39, रक्सौल द्वारा 46, सिकरहना (ठाका) द्वारा 07, पकडीदयाल द्वारा 53 एवं चकिया द्वारा 38 बी०एल०डी०आर० एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश अपलोड किए गए हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरेराज द्वारा दिनांक-11.07.14 को ही अपलोड कराने का आश्यासन दिया गया। इस संबंध में निम्न निदेश दिए गए :-</p> <p>1. अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन तैयार करा लें कि किस-किस के पास कितने मामले लंबित हैं।</p> <p>2. दिनांक-01.04.2014 के बाद भूमि सुधार उप समाहर्ताओं द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध करायें।</p>
9	बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम	<p>कुल-2599 मामलों के विरुद्ध 1870 मामले निष्पादित एवं शेष 729 पर कार्रवाई जारी।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता आदेश अनुपालन के संबंध में अगली बैठक के पूर्व जिला राजस्व शाखा में अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।</p>
10	डी०सी० विपत्र	<p>अंचलाधिकारी, सुगौली के पास 1,70,608.00 रुपये का डी०सी० विपत्र लंबित है, जिसके लिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कुल-8,92,761.00 रुपये का डी०सी० विपत्र महालेखाकार को भेजने हेतु तैयार कर लिया गया है।</p> <p>अगली बैठक में अंचलवार लंबित डी०सी० विपत्रों की सूची प्रस्तुत करें और जिस अंचलाधिकारी के पास डी.सी.विपत्र लंबित हो तो उनके वेतन का मुगतान स्थगित कर दिया जाएगा।</p>
11	अमीन/राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा।	<p>इस संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा समीक्षा हेतु दिनांक-16.07.2014 एवं 13.07.2014 को सभी राजस्व कर्मियों की बैठक आहूत की गई है।</p>
12	जिला जनता दरबार में सुयोग्य श्रेणी के प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई।	<p>बन्दोवस्ती से संबंधित जिला जनता दरबार में प्राप्त कुल-21 आवेदनों के विरुद्ध 04 निष्पादित। शेष पर कार्रवाई जारी।</p>

13	विभिन्न सरकारी कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराना	सरकारी भूमि हस्तान्तरण से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न। 1. अगली बैठक के पूर्व सी0डी0 तैयार करा ले कि किस-किस के पास कितने मामले लंबित हैं। 2. अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, चकिया पावर ग्रीड निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव अगली बैठक के पूर्व जिला राजस्व शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे।
14	जिला स्तरीय सैरातों की बन्दोबस्ती	कुल-75 बन्दोबस्ती योग्य सैरातों में से 28 की बन्दोबस्ती की जा चुकी है। शेष पर विभागीय वसूली जारी।
15	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं है।
16	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	अनुपालित।

4.

जिला विधि

अनुपालन :-

श्री उपेन्द्र कुमार पाल, वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	एम. जे. सी. में कारण-पृच्छा दायर करना।	कुल-11 मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, जिसमें से 03 की तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है। आदापुर अंचल के अतिक्रमण की समीक्षा कर अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया।
2	सी. डब्लू. जे. सी. में प्रतिशपथ-पत्र दायर करना।	कुल-573 लंबित मामलों के विरुद्ध 233 मामले निष्पादित एवं 340 मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इसमें से 31 में तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में निम्न निदेश दिए गए :- 1. गलत सूचना देने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुगौली के एक दिन के वेतन की कटौती की जाय। 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर के पास 06 एवं ढाका के पास 07 मामले लम्बे अर्से से लंबित हैं। सी0डब्लू0जे0सी0 मामलों के निष्पादन में अभिरूधि नहीं लेने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर एवं ढाका के एक दिन के वेतन की कटौती की जाय। 3. अनुपालन में शिथिलता के लिए अंचलाधिकारी, चिरिया से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। 4. फेनहारा अंचल से संबंधित मामलों में जिला स्थापना शाखा द्वारा प्रतिशपथ-पत्र तैयार करने का निदेश दिया गया। 5. बाल विकास परियोजना से संबंधित लंबित वादों का डाटा अद्यतन कराकर प्रतिवेदन तैयार कराते हुए

		परियोजनावार उसकी समीक्षा कर प्रतिवेदित करने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० को दिया गया।
3	निम्न न्यायालय का अभिलेख (एल.सी.आर.)	अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा मांगा गया एल. सी.आर. अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश सभी पदाधिकारी को दिया गया।
4	लोकायुक्त से संबंधित	लंबित मामलों का निष्पादन अविलम्ब करने का पुनः निदेश दिया गया।
5	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।
6	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।

- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य सभी पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आकस्मिक अवकाश के आवेदन-पत्र में इस आशय का उल्लेख अवश्य हो कि उनके पास एम०जे०सी० या सी०डब्लू०जे०सी० का कोई वाद लंबित है अथवा नहीं।

5. सामान्य शाखा

अनुपालन :- श्री महमूद आलम, वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	शस्त्र पंजी	जिला स्तर पर संचारित शस्त्र पंजी के आधार पर सत्यापित कुल शस्त्रों की संख्या-5672 और ओ०डी० पंजी के अनुसार 1292 कुल-6964 है।
2	सिनेमा अनुज्ञापिधारियों की अनुज्ञापि नवीनीकरण या रद्दीकरण संबंधी प्रगति प्रतिवेदन।	इस संबंध में पुनः निम्न निदेश दिये गये :- (1) नियमानुसार चालू सिनेमा हॉलों की अनुज्ञापि का शत-प्रतिशत नवीकरण किया जाय। (2) जो सिनेमाहॉल बन्द है या नियमानुसार संचालित नहीं है, उसकी अनुज्ञापि रद्द की जाय।
3	चौकीदार का अद्यतन वेतन।	इस जिले में कुल स्वीकृत बल 950 के विरुद्ध 726 चौकीदार पदस्थापित हैं, जिनके वेतन का भुगतान मई, 2014 तक कर दिया गया है, परन्तु रक्सौल अंचल में चौकीदार का वेतन भुगतान अप्रैल, 2014 तक ही हुआ है।
4	स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान प्रेशन योजना	-
5	प्रयटन	-
6	अनुकम्पा समिति	जिला स्थापना शाखा से समन्वय कर तिथि निर्धारण हेतु आदेश दिया गया।
7	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का	कोई मामला लंबित नहीं है।

	अनुपालन	
8	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं है।

6. जिला कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण

अनुपालन :- श्री कृष्णा राम, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं श्री रवि शंकर, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निर्देश
1	2	3
1	विभिन्न मदों में छात्रवृत्ति का वितरण	उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में अद्यतन कार्रवाई नहीं करने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को चेतावनी संसूचित की जाती है।
2	कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्राप्त राशि से संबंधित अद्यतन स्थिति (प्रखण्डवार)	अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी वर्ष 2013-14 की प्राथमिकता सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3	महादलित विकास निगम से संबंधित योजनाओं का अद्यतन स्थिति।	यकशेड निर्माण हेतु 108 योजनाओं के विरुद्ध 41 में कार्य प्रारंभ है। शेष 67 में अंचलाधिकारियों द्वारा जमीन का प्रस्ताव समर्पित नहीं किया गया है, जिन्हें स्मारित किया गया है। जमीन का प्रस्ताव लंबित रखने के लिए अंचलाधिकारी, बंजरिया, पहाड़पुर, धिरिया, ढाका, पताही, फेनहारा, चकिया, कल्याणपुर, रक्सौल, बनकटवा एवं संग्रामपुर के अंचलाधिकारियों के एक दिन के वेतन की कटौती का आदेश दिया जाता है।
4	दशरथ मांझी कौशल विकास योजना से संबंधित प्रतिवेदन।	विभिन्न 09 ट्रेडों में कुल-155 प्रशिक्षणार्थियों के बीच 2,32,500.00 रुपये छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है। शेष ट्रेडों में प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई की जा रही है। जिला कल्याण पदाधिकारी राशि का वितरण करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व प्रस्तुत करेंगे।
5	अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में प्राप्त राशि की अद्यतन स्थिति।	वर्ष 2014-15 में प्राप्त आवंटन, व्यय एवं अवशेष राशि की विवरणी परिशिष्ट में संलग्न है। उप विकास आयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यालयों का स्थल निरीक्षण कर इसका सत्यापन करेंगे।
6	अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास के निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन।	अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, सुर्गांव में शौचालय एवं स्नानागार तथा चाहारदिवारी का जीर्णोद्धार से संबंधित 14,38,280.00 रुपये योजनावार विवरण प्रस्तुत नहीं करने के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
7	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	दिनांक-24.08.2014 को आयोजित बैठक में 20 लाभार्थियों को सहायता अनुदान राशि भुगतान करने की स्वीकृति

	अंतर्गत कार्यवाही	प्रदान की गई है।	
8	ए0सी0/डी0सी0 बिल का प्रेषण।	विमुक्त किए गए 17,00,000.00 रुपये के विरुद्ध शेष 1,35,752.00 रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजने के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।	
9	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं है।	
10	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	अनुपालित।	

7. सामाजिक सुरक्षा
अनुपालन :- डॉ० विवेक सिंह, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निर्देश
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, बिहार निःशक्तता पेंशन से संबंधित अद्यतन स्थिति Statistical लक्ष्य के आधार पर (प्रखण्डवार/पंचायतवार)।	अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के एक दिन के वेतन की कटौती करते हुए चेतावनी दी जाती है। अगर अगली बैठक के पूर्व अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तो उनके विरुद्ध विभाग को संसूचित कर दिया जायेगा।
2	वस्त्र वितरण में प्राप्त राशि का अद्यतन स्थिति।	अनुपालन नहीं किया गया है।
3	ट्राई साइकिल योजना में प्राप्त राशि का अद्यतन स्थिति।	अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। उप विकास आयुक्त दिनांक-15.08.2014 के पूर्व ट्राई साइकिल वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे।
4	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित प्रतिवेदन। (प्रखण्डवार/पंचायतवार)	कोई आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी पंचायतवार इसकी समीक्षा करेंगे एवं प्रत्येक पंचायत से प्रति सप्ताह कम-से-कम एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित विभाग से आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।
5	कबीर अन्त्येष्टि। (प्रखण्डवार/पंचायतवार)	06 प्रखण्डों को छोड़कर शेष प्रखण्डों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र अप्राप्त है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड स्तर पर संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव की बैठक कर समीक्षा करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगली बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।
6	असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना-11	अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
7	प्रवासी मजदूर दुर्घटना बीमा योजना।	अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
8	विशेष रूप से निःशक्त व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराना।	अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

9	नगद पेंशन वितरण	कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
10	गैर प्राकृतिक आपदा	अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
11	पेंशनरी का डाटा बेस उपलब्ध कराना	अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
12	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	01 कंडिका लंबित है। अगली बैठक के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करें।
13	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	01 मामला लंबित है। अगली बैठक के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करें।

8. लोक सूचना का अधिकार अधिनियम
अनुपालन:- मोठ मुस्ताक, वरीय उप समाहर्ता, बैंकिंग/नोडल पदाधिकारी, लोक सूचना

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	सूचना के अधिकार अधिनियम	1. विभागवार/पदाधिकारीवार लंबित वादों की सूची तैयार करने एवं वाद के निष्पादन में शीघ्रता लाने का निदेश दिया गया। 2. प्रथम अपील हेतु जिला पदाधिकारी की शक्ति को अपर समाहर्ता को प्रदत्त करने हेतु संधिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

9. जिला स्थापना
अनुपालन:- श्री मधुसूदन प्रसाद, जिला स्थापना उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	90 दिनों से पूर्व विभागीय कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया जाना।	07 लिपिक, 02 जनसेवक, 04 राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध संचालन पदाधिकारियों के पास विभागीय कार्यवाही लंबित है, जिसके लिए उन्हें स्मारित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल दिनांक- 15.08.214 के पूर्व विभागीय कार्यवाही के संचालन का कार्य पूर्ण करेंगे।
2	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माह के अंत में सेवानिवृत्त लाभों का देयता सुनिश्चित करना।	देयता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक-31.07.2014 को कार्यक्रम निर्धारित है। सभी संबंधित विभागों को पत्र निर्गत कर दिया गया है। सभी विभागों से तीन दिनों के अन्दर सूची प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
3	अनुकम्पा समिति की बैठक	त्रिस्तरीय समिति गठित की जा चुकी है। त्रिस्तरीय समिति से अनुरासा प्राप्त कर लें

		तथा अनुकम्पा समिति की बैठक की तिथि निर्धारित करें।
4	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं है।
5	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	01 कंडिका लंबित है। अगली बैठक के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करें।

10. **GPF**

अनुपालन :- श्री राकेश कुमार चौधरी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	जी. पी. एफ. का लेखा अद्यतीकरण।	कुल अंशदाता - 6836, लेखा अद्यतन - 4729 Missing Contribution - 2107 शेष लेखा का अद्यतीकरण कर अद्यतन विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
2	विभागवार/कर्मचारीवार 31.03.2014 तक का अद्यतन प्रतिवेदन।	शेष लेखा का अद्यतीकरण कर अद्यतन विवरणी अगली बैठक के पूर्व उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतिम भुगतान से संबंधित मामले।	अंतिम भुगतान से संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का पुनः निदेश दिया गया।
4	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं है।
5	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं है।

11. **आपदा प्रबंधन**

अनुपालन :- श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	सुखाड़/बाढ़/अग्निकांड अनुदान राशि का डी. सी. विपत्र का प्रेषण।	यह जिला नजारात से संबंधित है। आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा अभिश्रव एवं अवशेष राशि जिला नजारात को भेज दी गई है।
2	संभावित कटाव स्थल से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज के पास लम्बित है। शेष अनुमंडलों से प्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज कटाव स्थल का वांछित प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन को अगली बैठक के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3	मृतक अनुदान से संबंधित अभिलेख की स्वीकृति	चकवात से संबंधित ढाका से 01 एवं मोतिहारी सदर से 03, कुल-04 मृत्यु के मामले प्रतिवेदित हुए हैं।

		संबंधित अंचलाधिकारी को क्षति का आकलन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से अगली बैठक के पूर्व अमिलेख आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराने का पुनः निदेश दिया गया।
4	जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयारी की समीक्षा।	बाढ़ की तैयारी की समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिए गए :- 1. सभी अंचलाधिकारी नावों का परवाना निर्गत करें तथा 30 निर्बंधित सरकारी नावों के अतिरिक्त अन्य सरकारी नावों का निर्बंधन परिवहन कार्यालय से अविलम्ब कराने की कार्यवाही करें। 2. अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनाज का पर्याप्त भंडार गोदामों में उपलब्ध है। 3. लाईफ जैकेट, आदि की व्यवस्था पूर्व में ही कर लें। 4. उर्वर स्थलों को चिन्हित कर सूची जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को भेज दें। 5. सभी विद्यालय भवनों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। 6. जोन का विभाजन कर सभी प्रारंभिक तैयारियाँ पूर्ण कर लें। 7. बाढ़ प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर सूचीबद्ध कर लें। 8. जहाँ चापाकल की आवश्यकता हो, उसकी सूची तैयार कर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को भेजते हुए एक प्रति जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को भेज दें। 9. सिविल सर्जन द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मेडिकल कीट का सत्यापन कर लें कि पर्याप्त मात्रा में दवा है अथवा नहीं? 10. पूर्णरूपेण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर लें। 11. प्रखंड एवं अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित कर लें।
5	निजी नाव के किराये का भुगतान।	यदि भुगतान लंबित हो तो अंचलाधिकारियों को निजी नाव के किराये का लंबित भुगतान अविलम्ब करने का पुनः निदेश दिया गया।
6	एस0एफ0सी0 की राशि का भुगतान	भुगतय राशि का शीघ्र भुगतान करने का पुनः निदेश दिया गया।
7	मुख्यमंत्री आवास योजना	इस मद में कोई राशि लंबित नहीं है।
8	तटबंधों का निरीक्षण	कुल-262 गृहसूचकों की प्रतिनियुक्ति तटबंधों पर कर दी गई है।
9	बाढ़ जागरूकता (प्रकाशन एवं विज्ञापन) अभियान	कार्य पूर्ण
10	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का	कोई मामला लंबित नहीं।

	अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।
11	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	

12.

L.C.D.S

अनुपालन :-

श्री प्रवीण कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निर्देश
1	2	3
1	आंगनवाड़ी केन्द्रों की जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में की गयी कार्रवाई एवं कटौती की गयी राशि की विवरणी (केन्द्र सहित)	मई माह में किस-किस बाल पदाधिकारियों/महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा कटौती एवं पदच्युति का प्रस्ताव नहीं दिया गया है, से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० अपने मंतव्य के साथ दें।
2	आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति एवं घयन हेतु की गयी कार्रवाई।	सेविका के कुल-828 रिक्त पदों के नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण। इसी तरह सहायिका के कुल-512 रिक्त पदों के विरुद्ध 104 पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
3	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	कुल स्वीकृत भवनों की सं०-4612, कार्यरत-3545, कुल पूर्ण भवनों की सं०-351 एवं निर्माणाधीन भवनों की संख्या-428 है।
4	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।
5	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।

13.

जिला पंचायत

अनुपालन :-

श्री सुनील कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निर्देश
1	2	3
1	पंचायत सचिवों के कार्यों की समीक्षा	एक भी बैठक नहीं की गई है। खेद संसूचित किया जाता है।
2	90 दिन से पूर्व पंचायत सचिवों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप देना।	02 मामले यथा-अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल एवं तुरकौलिया से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी के पास लंबित हैं, जिन्हें स्मारित किया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि ये दिनांक-18.07.2014 तक अनुपालन प्रतिवेदन भेज देंगे।

		संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अगली बैठक के पूर्व विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्ण कर लेंगे।
3	मुखिया/पंचायत प्रतिनिधि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को अंतिम रूप देना।	08 शिकायतों के विरुद्ध 02 शिकायतों का निष्पादन हो चुका है।
4	पंचायत सचिवों के मुख्यालय से संबंधित पता प्राप्त करना।	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर, सुगौली, रामगढ़वा, आदापुर, छौड़ादानों, बनकटवा, घोड़ासहन, ढाका, फेनहारा, तेतरिया, थकिया, अरेराज, तुरकौलिया, चिरिया, मधुवन एवं पकड़ीदयाल कुल-16 प्रखंडों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। इन्हें स्मारित किया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वयं इसकी समीक्षा कर लें।
5	ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत प्रियासॉफ्ट में योजनाओं का ऑनलाईन कराने के संबंध में।	वर्ष 2012-13 में जिला परिषद एवं पंचायत समिति का कार्य पूर्ण है। कुल-405 पंचायतों में से 368 पंचायतों का कार्य पूर्ण है। शेष पंचायतों का कार्य प्रारंभ है। आदापुर प्रखंड का कार्य लंबित है, जो रोकड़ बही से संबंधित है। वर्ष 2013-14 में जिला परिषद का कार्य पूर्ण है। कुल-27 पंचायत समिति में से 10 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष में कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। कुल-405 पंचायतों में से 75 ग्राम पंचायतों का कार्य पूर्ण है। शेष का कार्य प्रारंभ है। एक्शन सॉफ्टवेयर में वर्ष 2012-13 के डाटा को Plan Plus से Action Soft को पोर्ट कर दिया गया है। वर्ष 2013-14 का कार्य पूर्ण है।
6	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।
7	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।

14. जिला विकास

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निर्देश
1	2	3
1	कन्निरस्तान घेराबन्दी हेतु प्राप्त राशि से संबंधित अद्यतन स्थिति (प्रखण्डवार)	इस संबंध में निम्न निर्देश दिए गए :- 1. जिस कार्यकारी एजेन्सी के पास पुरानी योजनाओं का कार्य अपूर्ण है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करें। 2. यदि किसी कन्निरस्तान की घेराबन्दी में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी उसका समाधान करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाई करेंगे। 3. प्रत्येक सप्ताह सोमवार को होने वाली तकनिकी

		पदाधिकारियों की बैठक में इस मामले को समीक्षा हेतु रखें।
2	मुख्यमंत्री खेल योजना	इस योजनांतर्गत केसरिया, चकिया, मेहसी द्वारा खेल सामग्री प्राप्त नहीं की गई है। मोतिहारी, सुगौली, मुस्कौलिया, हरसिद्धि, रामगढ़वा, रक्सौल, छोड़ादाना, चिरिया, आदापुर, संग्रामपुर, बंजरिया, फेनहारा, तैतरिया, मधुबन, पताही, पकड़ीदयाल, कल्याणपुर, कोटवा, घोड़ासहन, बनकटवा प्रखंडों में पायका खेल सामग्री के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रखंडों द्वारा खेल सामग्री प्राप्त कर ली जाय। प्रमारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा संबंधित प्रखंडों को स्मारित कर उनसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
3	ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर प्रखंड की स्थायी परिसम्पत्ति एवं भू-भाग की विवरणी अपलोड करना	<u>प्रखंडवार निर्धारित कोड की विवरणी परिशिष्ट में संलग्न है।</u> सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी इसे ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

15. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

अनुपालन :- श्री सर्व नारायण यादव, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	मनरेगा से संबंधित प्रखण्डवार एवं पंचायतवार प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में)	प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	13वें वित्त आयोग में प्राप्त राशि से संबंधित प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में)	1. जिला परिषद के पास कुल-109, पंचायत समिति के पास 326, ग्राम पंचायतों के पास 292 योजनाएँ लंबित हैं। 2. जिला परिषद द्वारा 58,25,702 रुपये का व्यय किया गया है और 9,22,76,602.00 रुपये अवशेष हैं। 3. पंचायत समिति द्वारा 2,53,48,292.00 रुपये का व्यय किया गया है और 5,72,43,939.00 रुपये अवशेष हैं। 4. ग्राम पंचायतों द्वारा 3,94,55,658.00 रुपये का व्यय किया गया है और 20,02,82,283.00 रुपये अवशेष हैं। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद प्रखण्डवार समीक्षा कर सबसे खराब Performance वाले प्रखण्डों को चिन्हित करते हुए अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
3	इंदिरा आवास से संबंधित प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में)	कुल लक्ष्य 32,752, प्रथम किस्त की राशि प्राप्त लाभार्थियों की संख्या-23527, प्रतिशत-71.83, कुल अपूर्ण आवास-81,029, पूर्ण आवास-974, प्रतिशत-1.20 15 अगस्त, 2014 के पूर्व द्वितीय किस्त भुगतान हेतु शिविर की तिथि निर्धारित की जाय।

4	बी. आर. जी. एफ. से संबंधित प्रतिवेदन। (विहित प्रपत्र में)	प्रतिवेदन अप्राप्त। प्रत्येक दिन संध्या में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का पुनः निदेश दिया गया।
5	चतुर्थ वित्त आयोग।	1. जिला परिषद द्वारा ली गई 149 योजनाओं के विरुद्ध 47 योजनाएँ पूर्ण की गईं और 102 योजनाएँ अपूर्ण हैं। अभी तक 16,44,801.00 रुपये का ही व्यय किया गया है और 1,56,75,855.00 रुपये अभी भी अवशेष हैं। 2. पंचायत समिति द्वारा ली गई 272 योजनाओं के विरुद्ध 44 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया और 228 योजनाएँ लंबित हैं। इसके विरुद्ध 97,06,709.00 रुपये का व्यय किया गया है और 2,27,32,590.00 रुपये अवशेष हैं। 3. ग्राम पंचायतों द्वारा 955 योजनाएँ ली गईं, जिसके विरुद्ध 408 योजनाएँ पूर्ण की गईं और 559 योजनाएँ लंबित हैं। 4,45,60,008.00 रुपये रुपये का व्यय किया गया है और 8,27,15,131.00 रुपये अवशेष हैं। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद अविलम्ब अपूर्ण योजनाओं का कार्य पूर्ण कराते हुए अवशेष राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
6	जीविका से संबंधित प्रतिवेदन।	इस जिले के कुल-16 प्रखंडों के चयनित पंचायतों/ग्रामों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिन्हें मुर्गी पालन, सूअर पालन, बकरी पालन, इत्यादि के लिए बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जानी है। दुग्ध उत्पादन के लिए भी कार्यक्रम चलाने का निदेश दिया गया तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से अधिक-से-अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त कर अनुशंसा के साथ बैंकों में भेजना सुनिश्चित करें।
7	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।
8	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	02 मामला लंबित है। विगत बैठक के पूर्व इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

16.

जिला आपूर्ति

अनुपालन :-

श्री सदन लाल जमादार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निर्देश
1	2	3
1	खाद्य सुरक्षा अधिनियम	<p>मुद्रित राशन कार्ड की संख्या-502339, वितरित-4,06,273, प्रतिशत-85</p> <p>1. शेष राशन कार्ड मुद्रण की कार्यवाही की जा रही है। बजरिया प्रखंड का मुद्रण कार्य दिनांक-04.07.2014 को भारद्वाज इंटरप्राइजेज को सौंपा गया।</p> <p>2. मुद्रित कार्ड प्राप्त होते ही अन्त्योदय सूची से मिलान कर लें और यदि अन्त्योदय योजनान्तर्गत लाभान्वितों के नाम का कार्ड पाया जाता है तो उसका वितरण नहीं करने और उसकी छटनी कर अनुमण्डल कार्यालय में सुरक्षित भण्डारित कराने का निर्देश इस कार्यालय का पत्रांक-453 दिनांक-24.06.2014 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया।</p> <p>3. खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात् अब तक अन्त्योदय मद में कुल-2077 ड्राफ्ट के विरुद्ध 1994 एस0आई0ओ0 निर्गत किया गया है तथा पी0एच0एच0 मद में 2078 ड्राफ्ट के विरुद्ध 2017 एस0आई0ओ0 निर्गत किया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी शत-प्रतिशत NEPT/Draft सुनिश्चित करें एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम शत-प्रतिशत SIO सुनिश्चित करें।</p> <p>4. खाद्यान्न वितरण हेतु तिथि निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>यह सुनिश्चित करें कि बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा लंबित एस0आई0ओ0 अगली बैठक के पूर्व निर्गत कर दिया जाय।</p>
2	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	01 कण्डिका लंबित। अगली बैठक के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करें।
3	जिला अनुभवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	01 कण्डिका लंबित। अगली बैठक के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करें।

17.

सामाजिक, आर्थिक जातीय जनगणना

अनुपालन :-

श्री मधुसूदन प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निर्देश
1	2	3
1	COTS	प्रपत्र-A B C का टेबुल जाँच करायें। संशोधन के लिए प्रपत्र B भरवाकर जाँच हेतु भेजें। ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम

		SECC या NPR में नहीं है तो उनसे प्रपत्र C भरवाया जाय एवं जॉचोपरान्त नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाय। जिला कोषागार के नए भवन में किए जा रहे कार्य का दैनिक प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।
2	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।
3	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं।

18.

अभिलेखागार

अनुपालन :- श्री अमरकान्त, वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	अभिलेखों का रख-रखाव	कार्रवाई जारी।
2	पुराने अभिलेखों का विनिष्टीकरण	कार्रवाई जारी।
3	एक खिड़की प्रणाली	व्यवस्था लागू है। अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एकल खिड़की का औचक निरीक्षण करेंगे।
4.	आम जनता की समस्याओं का निराकरण	प्रत्येक दिन साय्या 03:00 बजे से 05:00 बजे तक आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए समय निर्धारित किया गया है।
3	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं है।
4	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लंबित नहीं है।

19.

जिला नज़ारत/परिसदन भवन

अनुपालन :- श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	आवंटन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।	वर्ष 2013-14 में सभी शीर्षों में प्राप्त आवंटन की निकासी कर ली गई है और अवशेष राशि को वर्ष के अन्तिम माह-मार्च में प्रत्यार्पित किया गया है। वर्ष 2014-15 में शीर्ष 2053 जिला प्रशासन एवं

		शीर्ष 2070 जिला अतिथिगृह मंद में प्राप्त राशि की निकासी पूर्ण।
2	लंबित अभिश्रवों की अद्यतन स्थिति	शीर्षवार लंबित अभिश्रवों की विवरणी प्रस्तुत। नियमानुसार लंबित अभिश्रवों का समयोजन करें।
3.	अग्रिम से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन	अग्रिम वसूली हेतु नोटिस निर्गत की जा रही है। कर्मचारियों के पास लंबित अग्रिम की राशि का समयोजन उनके वेतन से किस्तों के लिए करें।
4	ए0सी0/डी0सी0 विपत्र	कुल-4,72,40,000.00 के विरुद्ध 4,46,17,435.00 रुपये का डी0सी0 विपत्र का समयोजन किया जा चुका है। शेष 25,82,584.00 के समयोजन की कार्यवाही जारी है।
5	परिसदन में आधारभूत संरचना का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	परिसदन के सौन्दर्यीकरण की कार्य योजना तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल से पत्राचार किया गया।
6	20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लम्बित नहीं है।
7	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	कोई मामला लम्बित नहीं है।

20.

जिला नीलाम पत्र

अनुपालन :- श्री विजयन्त, वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	नीलाम पत्र वार्दों की अद्यतन स्थिति	अगली बैठक के पूर्व वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का पुनः निदेश दिया गया।
2.	लंबित वार्दों की अद्यतन स्थिति	थानावार चौकीदारों के माध्यम से शत-प्रतिशत वार्दों का तामिला कराना सुनिश्चित करें तथा अगली बैठक में लंबित वार्दों की संख्या, सन्निहित राशि एवं निष्पादित वार्दों की सं० तथा सन्निहित राशि का आंकड़ा प्रस्तुत करने का पुनः निदेश दिया गया।
3.	नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त करना	नीलाम पत्र पदाधिकारियों के बीच कार्य उपावंटित करते हुए उनके समक्ष सुनवाई हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने तथा पदाधिकारीवार्द वसूली का आंकड़ा अगली बैठक में प्रस्तुत करने का पुनः निदेश दिया गया।

उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे दिए गए निदेशों का कार्य विन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन की Hard & Soft Copy बैठक के एक दिन पूर्व आई0टी0 प्रबंधक एवं जिला गोपनीय प्रशाखा में उपलब्ध कराएंगे तथा अगली शुक्रवार को आयोजित बैठक में प्रखंडवार/पंचायतवार विस्तृत प्रतिवेदन के साथ समीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।

सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रधान लिपिक के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अमय कुमार सिंह) 16/7
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक-1384/गो0, मोतिहारी, दिनांक-16 वीं जुलाई, 2014
प्रतिलिपि सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के मेन्टर पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण//निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम/सिविल सर्जन/तटबन्ध प्रमण्डल एवं जल निस्सरण प्रमण्डल के सभी कार्यपालक अभियन्ता/ जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/जिला योजना पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमय कुमार सिंह) 16/7
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक-...../गो0, मोतिहारी, दिनांक-..... वीं जुलाई, 2014
प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अमय कुमार सिंह) 16/7
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सरकारी भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रतिवेदन

क्र.सं.	भूखण्ड का प्रकार	कुल लक्ष्य की संख्या	संपूर्ण भूखण्डों की संख्या	सूची संख्या	संपूर्ण भूखण्डों का प्रतिशत	अव्युक्ति
1	2	3	3	4	5	6
1	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	110	10	09	02	-
		69				
2	मनरेगा भवन	421	6	0	0	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण को अग्रसारित
3	पंचायत सराकर भवन	3785	17	03	04	11 जांच में।
4	विद्यालय भवन	15	23	11	05	07 जांच में।
5	आंगनबाड़ी केन्द्र	03	32	05	01	26 जांच में।

5. अनुसूचित जाति छावनीय विद्यालय न प्राप्त राशि की अवदान स्थिति

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में रा0 अम्बेदकर आ10 उच्च विद्यालय, सुगाँव में केतन संघारण भद में प्राप्त आवंटन का व्यय प्रतिवेदन

क्र	भद का नाम	प्राप्त आवंटन	पूर्व माह का व्यय	यावू माह का व्यय	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सामग्री एवं पूर्तियाँ	2500000.00	-	6,02,225.00	6,02,225.00	18,97,775.00	
2	कार्यालय व्यय	3000.00	-	-	-	3000.00	
3	यात्रा-भत्ता	-	-	-	-	-	
4	वर्दी	-	-	-	-	-	
5	विद्युत प्रभार	50000.00	-	-	-	50000.00	
6	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	715000.00	-	-	-	715000.00	
कुल योग		3268000.00	-	6,02,225.00	6,02,225.00	26,65,775.00	

11/11/14
 1809 200 4000
 2001-2002-03, 2003-04

ग्रा0 वि0 विभाग के वेबसाईट पर प्रखंड की परिसंपत्ति का विवरण अपलोड करना

रक्सौल	020001			पहाड़पुर	020014			
आदापुर	020002			अरेराज	020015			
रामगढवा	020003			संगामपुर	020016			
सुगौली	020004			केसरिया	020017			
बंजरिया व मेहसी	020005 व 020027		अपलोडेड	कल्याणपुर	020018			
छौड़ादानों	020006			कोटवा	020019			
बनकटवा	020007			पीपराकोठी	020020			
घोड़ासहन	020008			चकिया	020021			
ढाका	020009			पकड़ीदयाल	020022			
चिरैया	020010			पताही	020023			
मोतिहारी	020011			फेनहारा	020024			
तुरकौलिया	020012			मथुबन	020025			
हरसिद्धि	020013			तेतरिया	020026			